भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 693
दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय उत्प्रवासियों के लिए नयाचार

693. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भारतीय उत्प्रवासियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए और अधिक व्यापक नयाचार लागू करने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विदेशों में स्थित हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं तथा भारतीय प्रवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की किसी भी शिकायत पर बारीकी से नज़र रखते हैं और विदेशों में संबंधित प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। सरकार ने भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखने तथा उन्हें समय पर सहायता प्रदान करने में भारतीय मिशनों/केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए, भारतीय नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में स्वयं को पंजीकृत करें। विदेशों में स्थित हमारे मिशनों/केंद्रों से 24 x 7 हेल्पलाइन सहित संचार के विभिन्न माध्यमों से भी संपर्क किया जा सकता है।

(ii) ऑनलाइन मदद पोर्टल सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी कोंसली शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनके निवारण पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।

(iii) विदेश मंत्रालय ने संभावित प्रवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 में 'सुरक्षित रहें प्रशिक्षित रहें' अभियान शुरू किया था। इस आदर्श वाक्य के साथ तथा सुरक्षित और वैध प्रवास हेतु मंत्रालय के अभियान की दृश्यता को और बढ़ावा देने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने 9 जनवरी 2023 को 17 वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हमारे कामगारों के सुरक्षित और वैध प्रवास को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया।

(iv) मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान–पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी अनेक पहलें की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छे कार्य और रहने की स्थिति प्राप्त हो, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच हो।

(v) रोज़गार के लिए विदेशों में भारतीय कामगारों की आवाजाही उत्प्रवास अधिनियम, 1983 द्वारा शासित होती है। 2015 से, विदेशी रोज़गार संबंधी प्रक्रिया ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जो भर्ती एजेंसियों, विदेशी नियोक्ताओं को पंजीकृत करने और संभावित विदेशी प्रवासी कामगारों को उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) जारी करने के लिए एक फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

(vi) इसके अलावा, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) 24x7 हेल्पलाइन संचालित करके; भारतीय प्रवासियों की शिकायत याचिकाओं को प्राप्त करके, उनका पंजीकरण करके और उनकी निगरानी करके तथा सूचना प्राप्ति संबंधी प्रश्नों के लिए आवश्यक सलाह/समाधान और स्पष्टीकरण प्रदान करके; कानूनी, वित्तीय, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मामलों पर परामर्श सत्र आयोजित करके; उनके समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मामलों, विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी वार्ता, भारतीय प्रवासियों के कल्याण हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूकता सत्र आयोजित करके भारतीय प्रवासियों को अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं।

*****